न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
10/2017/प्रा.पत्र/2017	07.02.2017	06.11.2018

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामसिंह पुत्र शम्भू सिंह राजावत जाति राजपूज निवासी पलेई पोस्ट वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक मैसर्स राजावत मिष्ठान भण्डार एण्ड जनरल स्टोर वनस्थली गेट निवाई रोड वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक
2. मैसर्स राजावत मिष्ठान भण्डार एण्ड जनरल स्टोर वनस्थली गेट निवाई रोड वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थी उपस्थित

:—**निर्णय**—: **दिनांक 06.11.2018**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.09.2016 को समय 2.00 पी.एम. पर प्रतिष्ठान मैसर्स राजावत मिष्ठान भण्डार एण्ड जनरल स्टोर वनस्थली गेट निवाई रोड वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री रामसिंह पुत्र शम्भू सिंह राजावत जाति राजपूज निवासी पलेई पोस्ट वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में स्टील की 2 ट्रे में लगभग 10 कि0ग्रा0 मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री रामसिंह राजावत को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अनिल्र कुमार एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में स्टील की 2 ट्रे में रखे गये लगभग 10 कि0ग्रा0 मावा बर्फी में से एक ट्रे में रखे मावा बर्फी को पूर्णतया होमोजिनियस कर एक ट्रे में 2 कि0ग्रा0 मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री रामसिंह राजावत को रू0 500.00/—अक्षरे पांच सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मावा बर्फी 2 कि0ग्रा0 के बराबर—बराबर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखी कॉच की चार शिशियों में प्रत्येक शिशी में 500—500 ग्राम भरकर प्रत्येक शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40—40 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

बन्द कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1420 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1420 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. रामसिह राजावत के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/4079 दिनांक 04.10.16 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/517/एफएसएसए./2016/567 दिनांक 16.09.2016 व निदेशक, रैफरल फुड लेबोरेट्री, पुणे के अनुसार भी रामसिंह राजावत से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा के अनुसार **3(1)(ZX) (iv) असुरक्षित (Unsafe) / अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **असुरक्षित (Unsafe)** स्तर का मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 एवं दण्डनीय धारा 51 (सपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा बर्फी** (खोया बेस्ड स्वीट) का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा **3(1)(ZX)** का एवं खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) उप धारा (ii) व दण्डनीय धारा 51 (सपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री रामसिंह पुत्र शम्भू सिंह राजावत जाति राजपूज निवासी पलेई पोस्ट वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक मैसर्स राजावत मिष्ठान भण्डार एण्ड जनरल स्टोर वनस्थली गेट निवाई रोड वनस्थली तहसील निवाई जिला टोंक पर शास्ती 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.11.2018 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11..2018 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक